राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

नम्बर व तार
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी हुए

मुकदमा नं. 11/2016 दायर दिनांकः– 04.07.2016

अनवान

1. रवि पिता जगदीश मीणा निवासी अन्नतपुरा (राज0)। प्रार्थी........

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता रंगलाल जाति जाट निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा। अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 183(बी)आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांकः 18.10.2017

उक्त प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बिजौलियां जनसुनवाई दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सलावटिया पटवार हल्का सलावटिया में आराजी नं. 1459/575 रकबा 2.05 बीघा किस्म बारानी तृतीय खातेदारी से प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी मीणा जाति के होकर अनुसूचित जनजाति सदस्य है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है। अतः अवैध कब्जा हटाया जाकर बेदखल किया जावे।

प्रार्थनापत्र के साथ जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की उसमें प्रार्थी का अनुसूचित जनजाति का होने एवं खातेदार होने के कारण प्रकरण धारा 183 बी.आर.टी.एक्ट 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्ती पर अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा अधिकारी पत्र पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री सुनिल जोशी द्वारा अधिकार पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 26.08.2016 को जरिये अधिवक्ता सुनील जोशी चमन पिता भुरा भील निवासी खडीपुर द्वारा आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जवाब में बताया कि धारा 183 (बी) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के अधिकार स्थापित नही किये जा सकते । अधिकार स्थापित करने के लिए सक्षम न्यायालय को है जो इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी चमना पिता भुरा भील निवासी खडीपुर को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है न ही प्रार्थना पत्र का कानूनी अधिकार है। साथ ही बरदा पिता भुरा भील निवासी खडीपुर जो कि चमना का भाई है द्वारा स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत शपथ पत्र में बरदा ने बताया कि उपरोक्त आराजी भूमि पर राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज है वह भुरा

तहसीलदार बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

पिता भोला के नाम है न कि भुरा पिता भैरू के नाम पर है। जबकि मेरे पिता का नाम भुरा पिता भैरू भील के नाम से ग्राम खडीपुर में ही स्थित आराजी नं0 1013/589 रकबा 4.05 बीघा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर चली आ रही है। मेरे पिता भुरा पिता भैरू का स्वर्गवास होने के बाद मुझ शपथकर्ता व मेरे भाई , मेरी बहन झमकु तथा मेरी मां मोडी के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि को मेरे भाई चमना व मुझ शपथकर्ता द्वारा अन्य को विकय कर दी। शपथकर्ता ने यह भी बताया कि ग्राम सलावटिया की आराजी नं 1459/575 रकबा 2.05 बीघा भूमि को रवि कुमार मीणा ने रूपचन्द ,भवाना व शम्भु पिता भुरा भील से कय की है। विपक्षी कन्हैयालाल जाट द्वारा भूमि को हडपने के लिए मेरे भाई चमना को झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर झूठी साक्ष्य व मामले को उलझाने के लिए पक्षकार बनाया है जो झूठा है।उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया जो सार एवं तथ्यहीन होने से खारीज किया जाता है। आराजीयात के संबंध में ग्राम सलावटिया की जमाबंदी संवत 2067 में अंकित भुरा पिता भोला निवासी खडीपुर के नाम दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि को जरिये नामा0 संख्या. 1290 दिनांक 10.07.2014 जरिये विकय से रवि पिता जगदीश मीणा निवासी सुभाषनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा के नाम दर्ज करने की स्वीकृती हुयी। जबकि रूपचन्द ,भवाना व शभु पिता भूरा भील के पिता का नाम ग्राम सूतड़ा प0ह0 धनेश्वर तहसील बून्दी की जमाबंदी में अंकित भूरा वल्द लक्ष्मण कोम भील सा0 देह गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड थी। पत्रावली में संलग्न ग्राम सलावटिया की जमाबंदी व ग्राम सूतडा की जमाबंदी से जाहिर होता है कि उक्त भूरा पिता भोला भील के असली वारीसान कोन है वारिसान की जांच प0ह0 सुखपुरा से करवाई गयी तथा पटवारी हल्का धानेश्वर की जांच जरिये उप तहसीलदार डाबी से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शा0फ0 की गयी। जांच रिपोर्ट प0ह0 धानेश्वर की इस प्रकार से है कि ग्राम सूतडा में भुरा वल्द भोला भील नाम का कोई व्यक्ति नही है। ग्राम सूतडा में भुरा वल्द लक्ष्मण भील नाम का व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान में तीन पुत्र व एक पुत्री हैं जिनके नाम निम्न हैं रूपलाल, भवाना, शम्भु एवं पुत्री खतुबाई जो (लाओलाद) फोत हो चुकी है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नही किया गया । तथा प्रकरण में अंकित आराजी के सम्बंध सम्बंध प्रार्थी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर राहत के दि ें स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व रेकार्ड का अध्योपान्त अवलोकन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। तदनुसार पालना हो । पत्रावली बाद दायर रजिस्टर के नम्बर कम होकर फैसल शुमार हों।

आदेश आज दिनांक 18-10-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार बिजौलियाँ
जिला भीलवाड़ा (राज.)

janral latter /Desktop6